

(भारत के राजपत्र असाधारण भाग-I, खंड I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन

सार्वजनिक सूचना सं० 64/2015-2020

नई दिल्ली, दिनांक:- 05 मार्च, 2018

विषय: प्रक्रिया पुस्तक 2015-20 के परिशिष्ट-4ज में संशोधन के संबंध में।


समय-समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार प्रक्रिया पुस्तक 2015-2020 के परिशिष्ट 4ज में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

2. तालिका में क्रम सं० 12 की मौजूदा प्रविष्टि के नीचे निम्नलिखित नई प्रविष्टि की जाती है:

क्रम सं०	आयात मद (मदें)	सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक आयात खेप की निकासी की तारीख से आयात-पूर्व शर्त के साथ निर्यात दायित्व अवधि
13	मक्का (आईटीसी एचएस कोड 1005900)	3 माह

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:

इस सार्वजनिक सूचना के द्वारा परिशिष्ट-4ज में विनिर्दिष्ट निविष्टियों/आयात मदों में संशोधन किया गया है।


(आलोक वर्धन चतुर्वेदी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार

[फा० सं० 01/94/180/199/एएम-18/पीसी-4 से जारी]